(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. /2018

I/पुनर्विलोकन/शिवपुरी/भू.रा/2018/0436

डॉ. विष्णु कुमार शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा, निवासी- कोलॉनी बैराड, जिला शिवपुरी (म.प.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. मुकेश पुत्र रामजीलाल, निवासी- कालॉनी बैराड, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. दंगला पुत्र नत्था यादव, निवासी- सरपंचवाडा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) --अनावेदकगण

विनोद भार्गव 15-1-18

18-1-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 15-1-18

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल प्रशासकीय सदस्य श्री एम. गोपाल रेड्डी द्वारा प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 7/निगानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4088 में पारित आदेश दिनांक 05/12/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 15-01-2018

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, विवादित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 32/4 नया सर्वे क्रमांक 74 रकबा 2.14 हे. का भूमि स्वामी अनावेदक क्र. 2 मुकेश पुत्र रामजी लाल वैश्य था। अनावेदक क्र. 2 द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की भूमि का विक्रय अनावेदक क्रमांक 3 के पक्ष में किया गया। तदानुसार अनावेदक क्रमांक 3 राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमि स्वामी थी।

15-1-18 शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

2. यहकि, आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमि स्वामी दंगला अनावेदक क्र. 3 से रजिस्ट्रीकृत विलेख दिनांक 19/09/2014 द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तदानुसार राजस्व अभिलेख में आवेदक का नामांतरण हो गया। (~~विक्रय पत्र व~~ खसरा की प्रति संलग्न है।)
3. यहकि, उपर्युक्त भूमि राजस्व अभिलेख में विक्रय से विवर्जित होना उल्लेखित नहीं है।
4. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 153/13-14/स्व.निग. दर्ज किया गया जिसमें अनावेदक क्रमांक 2 व 3 को पक्षकार बनाया गया आवेदक हितबद्ध व्यक्ति को ना तो पक्षकार

(7)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/पुर्नावलोकन/शिवपुरी/भू.रा./2018/0436

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.9.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/4088 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिए गए हैं उनका निराकरण मेरे द्वारा कारण दर्शाते हुए पूर्व में ही किया जा चुका है। आलोच्य आदेश में मेरे द्वारा कई न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि 10 वर्ष उपरांत पट्टेदार भूमिस्वामी प्राप्त हो गए तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता। यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	